भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1459

दिनांक 28/07/2026 को उत्तरार्थ

आरजीएसए के अंतर्गत जारी निधि

†1459. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में अर्जित स्वयं के राजस्व स्रोत के (ओएसआर) का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) वित्त आयोग के अनुदानों और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार और ग्राम पंचायत-वार कितनी निधि जारी की गई है;

(ख) क्या मंत्रालय ने पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने और उनकी वित्तीय स्थिरता के बीच संबंध का आकलनकिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत संशोधित केंद्र-राज्य वित्तपोषण प्रवृत्ति का राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने, डिजिटल शासन और वित्तीय प्रबंधन में निरंतर सुधार प्रदर्शित करने वाली पंचायतों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन या अतिरिक्त सहायता आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुदानों पर निर्भरता कम करते हुए ग्राम पंचायतों की राजस्व अर्जन क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): "पंचायत" "स्थानीय सरकार" होने के चलते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का एक हिस्सा है। पंचायतें संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तहत स्थापित और संचालित की जाती हैं। पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने (ओएसआर) सहित पंचायत से संबंधित सभी मामले राज्य के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ज) के अनुसार, राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, कर, ड्यूटी, टोल और शुल्क लगाने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए पंचायतों को अधिकृत कर सकता है, जो ऐसी प्रक्रिया और सीमाओं के अधीन है । साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर, ड्यूटी, टोल और शुल्क पंचायतों को सौंप सकती है जो कानून में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन है। पंचायती राज मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) जुटाने की स्थिति का न तो रिकॉर्ड रखता है या न इसकी निगरानी करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

2023-24	**2024-25**	**2025-26**
0.00*	2.52	35.00

नोट: संशोधित आरजीएसएके तहत ज़िला/जीपी के बजाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

*वित्त वर्ष 2023-24 में आंध्र प्रदेश राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई, क्योंकि राज्य के पास 64.70 करोड़ रुपये की अव्ययित धनराशि शेष थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

2023-24	**2024-25**	**2025-26**
1997.45	2109.97	2053.81

नोट: 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान राज्य-वार जारी किए जाते हैं**,** न कि ज़िला या ग्राम पंचायत-वार।

(ख): पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) जुटाने पर दो अध्ययन किए हैं- एक, 2022 में, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा और दूसरा, 2025 में, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा। दोनों अध्ययनों में पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता, कार्यदक्षता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए ओएसआर को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

वर्ष 2022 में, मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के ओएसआर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया ताकि मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जा सके और उनकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश की जा सके। समिति की रिपोर्ट में यह प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में ओएसआर पंचायतों के कुल व्यय का केवल 6-8 प्रतिशत है। इसके अलावा, विभिन्न करों और शुल्कों को लगाने और वसूलने के कानूनी अधिकारों के बावजूद, अस्पष्ट वैधानिक या प्रशासनिक प्रावधानों, सीमित क्षमता और कमजोर प्रवर्तन प्रणालियों के कारण बहुत सारी पंचायतें इन राजस्वों को प्रभावी ढंग से जुटाने में असमर्थ हैं।

(ग): पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। पूर्वोत्तर**,** पर्वतीय राज्यों और जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर**,** राज्य घटकों के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में है**,** (जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 के अनुपात में है)। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए**,** केंद्र का हिस्सा 100% है। इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(घ): जी, नहीं। हालांकि, स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें, 16वें वित्त आयोग ने प्रवेश-स्तर और अर्हक शर्तों की पूर्ति के अधीन निष्पादन अनुदान की सिफारिश की है। 16वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि (2026-31) के लिए निष्पादन

अनुदान के रूप में निर्धारित राशि रु. 87,048 करोड़ है। निष्पादन अनुदान को दो घटकों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (i) ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) निष्पादन घटक (रु. 43,524 करोड़) (ii) राज्य निष्पादन घटक (रु. 43,524 करोड़)।

(ङ): पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मज़बूत बनाने के लिए **'**स्वयं के राजस्व स्रोत**' (**ओएसआर) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि कर और गैर-कर स्रोतों के माध्यम से ओएसआर कैसे उत्पन्न होता है। दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार**,** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत**, '**स्वयं के राजस्व स्रोत**' (**ओएसआर) पर निर्मित विशेष मॉड्यूल के ज़रिए कुल 2,75,893 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ii) वर्ष 2025 में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के राजस्व स्रोत(ओएसआर) को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार' (एएनपीएसए) शुरू किया।

(iii) पंचायती राज मंत्रालय ने "समर्थ पंचायत पोर्टल" भी विकसित किया है। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो कर और गैर-कर मांगों के सृजन और संग्रह, कर रजिस्टर के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

(iv) अप्रैल, 2020 में शुरू की गई स्वामित्व (गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण) योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति करों के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जिससे अंततः ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत ज़्यादा इकट्ठा होता है और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं।
